संख्या-879 /X-2-2011-12(44)/2006

प्रेषक,

अहमद अली
अप्पर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2011

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना "प्रोजेक्ट टाइगर" के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0-4-1(1)/2010-PT दिनांक 31 अगस्त, 2010 तथा तथा आपके पत्र सं0-नि. 966/3-6(प्रोजैक्ट टाईगर) दिनांक 11 जनवरी, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के के अतिरिक्त संलग्न बी0एम0-15 प्रारूप पर अंकित विवरण अनुसार ₹15,50,000/-(₹ पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग करते हुए प्रस्तर-2 में इंगित तालिका में मदवार इंगित ₹ **25,50,000/-(₹ पचीस लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत व्यय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तो एवं अनुमोदित कार्यो/मद पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग भिन्न कार्यो के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय।

(3) उक्त स्वीकृत व्यय चालू याजेनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(5) आहरण-वितरण अधिकारियों तथा तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

(6) अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(7) साख-सीमा की त्रैमासिक सीमा उसी प्रकार निर्धारित किया जाय, जैसा कि शासनादेश सं0-ए-2-311/दस-98 दिनांक 29 जून, 1998 के प्रस्तर-2(2) तथा 2(3) एवं वर्तमान में यथा प्रभावी संशोधित आदेश में निर्धारित है, परन्तु यदि उस त्रैमास में साख-सीमा की धनराशि व्यय होने में कोई कठिनाई होती है तो अवशेष धनराशि अगले त्रैमास तक व्यय करने की अनुमति विना वित्त विभाग की सहमति के जारी नहीं की जायेगी.

क्रमशः.....2

(8) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।

(9) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

(12) धनराशि का आहरण/व्यय तथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक आवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(14) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सनिश्चित किया जायेगा।

(15) विभागध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्रसहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे। उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरंण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) जिन योजनाओं में विगत वर्षो की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो इनके परिप्रेक्ष्य में समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रसतुत किये जायं, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0108-**"प्रोजेक्ट टाइगर"** हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगाः-

(धनराशि ₹ हजार में)

लेखा शीर्षक योजना का नाम	मानक मद	आय-व्ययक प्रावधान	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति	अभ्युक्ति (संलग्न बी0ए0-15 पर उल्लिखित पुनर्विनियोग के प्रस्ताव सहित
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0108-प्रोजेक्ट टाइगर	06-अन्य भत्ते	1000	2550	(+)1550 पुनर्विनियोग प्रोजेक्ट एलीफैंट योजना के मानक मद 29-अनुरक्षण से।
योग		**1000**	**2550**	

(वर्तमान स्वीकृति ₹ पचीस लाख पचास हजार मात्र)

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-382(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 24 मार्च, 2011 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है.

भवदीय

(अहमद अली)
अनु सचिव

क्रमशः......3

संख्या-879 (1)/x-2-2011, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कामून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव

D:\Section-2\Ansari\Sanction 10-11\Plan\Plan 10-11.doc

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2010-11 अनुदान संख्या-27 राजस्व लेखा आयोजनागत

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड (धनराशि ₹ हजार में)

क्रम सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4		5	6	7	8
1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन 29-अनुरक्षण					2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 06-अन्य भत्ते			क-आवश्यकता न होने के कारण बचता है.
	~~20000~~ 0670	0	18450	1550		1550	2550	~~18450~~ 7120	ख-भारत सरकार से अनुमोदित प्लान के अनुसार मद में धनराशि की आवश्यकता है.
योग	~~20000~~	0	18450	1550		1550	2550	~~18450~~ 7120	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या- 382(1)/XXVII(4)/2010 दिनांक 24 ~~फरवरी~~ मार्च, 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

संख्या-879 (2)/X-2-2011-12(44)/2006 दिनांक 25 फरवरी, 2011

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव